

Kind Attn - Sh. G. S. Pandey - C.A.O.  
From - V. SARSENA, NEW DELHI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L-3300499

URGENT

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 657]

No. 657]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2007/ज्यैष्ठ 11, 1929

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2007/JYAISTHA 11, 1929

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2007

का.आ. 860(अ)—वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस मत के होने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 5क के तहत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क से इस अधिनियम के प्रयोजन से भारत में विनिर्मित सभी वस्त्रों एवं सभी मशीनरी को पूर्ण उपकर लगाए जाने से एतद्वारा छूट प्रदान करती है।

[सं. 12020/2/2002-ए एंड एमएमटी]

जैमिनी कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2007

S.O. 860(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5E of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government, being of the opinion that in the public interest it is necessary so to do, hereby exempts all textiles and all textile machinery manufactured in India from the levy of whole of the cess, for the purposes of the above-mentioned Act, as a duty of exercise leviable under Section 5A of the said Act, with effect from the date of publication of this notification.

[No. 12020/2/2002-A & MMT]

J. K. SHARMA, Jr. Secy.

2630 GI/2007

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड III  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51]  
No. 51]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 18, 2007/पूर्व 28, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2007/PUSA 28, 1928

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2007

का.आ. 52(अ).—केंद्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 5क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, इस मंत्र के हार्न पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, इस अधिसूचना को प्रकाशन की तिथि से उक्त अधिनियम की धारा 5क के तहत लागू करने वाली उच्चाय हुक्म से इस अधिनियम को प्रयोजन से सिद्ध-सिलाई परिधानों, जौ. एक प्रकार का वस्त्र है, को पूर्ण उपकर लागू करने से एतद्वारा छूट प्रदान करती है।

[सं. 12020/2/2007-इएडएमएमडी (टीसी)]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2007

S.O. 52(A).—In exercise of the powers conferred by Section 5B of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963), the Central Government, being of the opinion that in the public interest it is necessary so to do, hereby exempts the ready made garments, being a variety of textiles from the levy of whole of the cess, for the purposes of this Act, a duty of excise leviable under Section 5A of the said Act, with effect from the date of publication of this notification.

[No. 12020/2/2007-A & MMT (TC)]

BHUPENDRA SINGH, Jr. Secy.